निगरानी / टी.ए. / 4774 / 2006 / भरतपुर
बाबू बनाम स्वरुप

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ श्री सूरजभान जैमन, सदस्य उपस्थित– श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता प्रार्थीगणा श्री अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्राथी। आदेश दिनांक 17–9–18 यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उप जिला कलक्टर, डीग (भरतपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 184 / 2002 में पारित निर्णय दिनांक 06–7–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी / वादी ने प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर, डीग के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 पेश किया। दौराने वाद प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. दिनांक 14–6–2006 बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में तरमीम किये जाने की आज्ञा प्रदान, का पेश किया। उप जिला कलक्टर, डीग द्वारा अपने आदेश दिनांक 06–7–2006 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी / प्रतिवादी निगराकार ने यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। 3– उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई। 4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि परीक्षण न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थी / वादी ने दावे की मद संख्या–4 में गत खसरा नंबर 65 मिन क्षेत्रफल 2 बीधा स्थित ग्राम चौमेदा तहसील डीग को अपने पिता धूड़े की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की होना दर्शाया है जबकि प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता करन सिंह के पिता का नाम भी धूड़े था। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जाना अत्यधिक आवश्यक था। उनका यह भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन है कि विवादित भूमि के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, डीग द्वारा दिनांक 10–03–1973 को खातेदारी की डिक्री अप्रार्थी / वादी के पिता धूड़े के विरूद्ध पारित की थी, जो उपखण्ड अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बाहर थी, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के शिड्यूल–III आईटम 5, 6 के अनुसार राजस्व प्रकरणों को सहायक कलक्टर को सुनने का अधिकार था। ऐसी सूरत में उपखण्ड अधिकारी, डीग द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में दावा में पारित डिक्री दिनांक 10–7–1973 अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण नलेटी एवं प्रभावहीन व शून्य है जिसकी कि प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं उनके पिता करनसिंह पर कतई पाबंदी नहीं है। जिसके आधार पर परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत दावा कतई मेन्टेनेबिल नहीं है ऐसी परिस्थिति में न्याय की दृष्टि से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के जवाबदावा की मद संख्या 4 के बाद नई मद नंबर 4(अ) अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जवाबदावा की मद संख्या 4 में तरमीम किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश में बिना कोई पर्याप्त कारण दिये प्रार्थीगण/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी खारिज करने में भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उप जिला कलक्टर, डीग (भरतपुर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–7–2006 को निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी. सी. स्वीकार फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 2009 डी.एन.जे. (एस.सी.)988, ए.आई.आर. 2004 (एस.सी.) 4102, 2004 आर.बी.जे. पेज 551 (एस.सी.), 2012 (2) डी.एन.जे. (राज.) 937, 2013 डी.एन.जे. (एस.सी.) 75, 2006 डब्ल्यू0एल0सी0 (राज.) एच.सी. 692, 2012 (5) डब्ल्यू.एल.सी. (राज.) 132, 2012 (5)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	डब्ल्यू.एल.सी. (एस.सी.) एस.सी. सिविल पेज 132 व 2012 (2) डब्ल्यू.एल.सी. (एस.सी.) एस.सी. सिविल पेज 700 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। 5– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी /वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी/वादी द्वारा दावा दिनांक 22–8–2003 को पेश किया था तथा प्रतिवादी द्वारा अपना जवाबदावा दिनांक 13–1–2004 को पेश किया था। ऐसी स्थिति में लगभग ढाई वर्ष की अवधि के पश्चात् जबकि प्रकरण अन्तिम बहस में परीक्षण न्यायालय में चल रहा था, उस समय प्रतिवादीगण द्वारा जो प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. पेश किया गया, वह केवल प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया, जिसे परीक्षण न्यायालय ने निरस्त करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे। 6– हमने उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का व प्रस्तुत कानूनी नजीरो का अध्ययन व अवलोकन किया तो हम यह पाते है कि प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबावदावा की मद संख्या 4 के बाद नई मद संख्या 4–अ में चाहा गया संशोधन मात्र प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से पेश किया जाना माना है तथा उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा दिनांक 10–3–73 को वादी के पिता घूडे के विरुद्ध डिक्री पारित की थी जबकि उपखण्ड अधिकारी को शक्तियॉ प्राप्त नही थी, भी नियम विरुद्ध कथन है क्योकि उपखण्ड अधिकारी को सहायक कलक्टर की शक्तियॉ प्राप्त होती है। उपरोक्त लिये गये दोनो आधारों में से सहायक कलक्टर और उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों के विषय में दी गयी विवेचना य़द्यपि कानून सम्मत है लेकिन इसके अलावा चाहे गये संशोधन में यह तथ्य कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता करण सिंह का पिता घूडे था। दावा की मद संख्या 4 में वादी के पिता घूडे की यह भूमि कब्जा काश्त व खातेदारी की होना अंकित किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया है और जबावदावा की मद संख्या 4 में यह अंकित किया गया है कि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को कभी बेदखल नही किया गया और प्रतिवादीगण के पिता इस भूमि को काश्त करते रहे थे। चाहे गये संशोधन में यह भी चाहा गया है कि प्रतिवादी के पिता करणसिंह के पिता का नाम घूडे था । इस प्रकार सन 1973 के दावे के निर्णय के सम्बन्ध में घूडे नाम के व्यक्ति का सरोकार रहा है जिससे वादीगण और प्रतिवादीगण दोनो ही स्वयमेव सहमत है। इसलिए यह संशोधन प्रासांगिक है और इससे दावे की प्रकृति पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता है तथा विद्वान अभिभाषक निगराकार द्वारा प्रस्तुत नजीरों में दिये गये सिद्धान्त कि चाहे गये संशोधन से न्याय प्रदान करने में सुगमता की स्थिति में देरी से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र को भी स्वीकार किया जाना न्यायहित में होता है, की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को अपास्त करते हुए प्रतिवादीगण /प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6नियम 17 सीपीसी को स्वीकार करना न्यायहित में उचित समझते है। 7— अतः उपरोक्त विवेचनके प्रकाश में यह निगरानी स्वीकार की जाती है।उपजिला कलक्टर डीग जिला भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6—7—2006 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 6नियम 17 सीपीसी दिनांक 14—6—06 को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सूरज भान जैमन) सदस्य	